न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्याः 265/2014

दर्ज दिनांकः 14/11/2014

निर्णय दिनांक :13/04/2017

हरिसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत, निवासीः झराना, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासीः झराना खुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. शेरसिंह पुत्र गंगासिंह
3. मगनसिंह पुत्र उदयसिंह

   समस्त जाति राजपूत, निवासीः ग्राम झराना, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः

श्री भोजराज सिंह राजावत एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री शेरसिंह नरूका एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

निर्णय दिनांकः 13/04/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 89 के आराजी खसरा नंबर 187/1024 रकबा 02 बीघा भूमि वाके ग्राम झराना खुर्द पटवार हल्का भांकरोटा भू.अभि.नि. क्षेत्र माधोराजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है जो वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। आराजी में वास्तविक कब्जेकाश्त एवं बाहमी बंटवारे अनुसार वादी व प्रतिववादीगण ने आपस में बांट रखी है। परिशिष्ठ 1 अनुसार खसरा नंबर 187/1024 रकबा 2.00 बीघा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के दर्ज हिस्से 1/3, 1/3 को विलोपित कर वादी का सम्पूर्ण हिस्सा 2/3 शेष हिस्सा बदस्तूर। आराजी में वर्णित हिस्सेनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने पूर्वजो के समय से चले आ रहे कब्जेकाश्त के अनुसार आराजी का बाहमी बंटवारा पूर्व में कर अपना अपना हिस्सा कायम कर अन्य आराजी में समयोजित कर लिया तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 नाम के खातेदार ग्राम झराना में कभी नहीं रहे, उक्त नाम पर्चा सैटलमेन्ट संवत् 2011 से संवत् 2030 की खतौनी बंदोबश्त में दर्ज हो गया जबकि उक्त नाम के कोई व्यक्ति नहीं है व ना ही कभी उक्त नाम के खातेदार ने काश्त की, उक्त खातेदारान के हिस्से को वादी व शेष प्रतिवादीगण आपसी समझाईश कर हिस्सा तय कर काश्त करते आये है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज आराजी पक्षकारान की है जिससे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम विलोपित किया जाकर पक्षकारान के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को छोडकर अन्य प्रतिवादीगण की मौरूसी मुश्तर्का रही है जिस पर कब्जाकाश्त पक्षकारान के पूर्वजो के समय से परिशिष्ठ 1 में वर्णितानुसार उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आये है जिसका बाहमी बटवारा काफी वर्षो पूर्व ही कर लिया तथा संवत् 2011 में एक ही राजस्व गॉव झराना कायम था जिसके बाद दो अलग गाव झराना खुर्द व झोपडिया कायम की गई जिसके अनुसार पक्षकारान की आराजी उक्त तीनो गांवो में वर्तमान में दर्ज चली आ रही है जिसको पुराने कब्जेकाश्त अनुसार वाके

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

ग्राम झराना खुर्द में स्थित उक्त विवादित आराजी परिशिष्ठ में वर्णित पक्षकारान को संभलाई गई व इसकी एवज में अन्य गांव झराना खुर्द में परिशिष्ठ 1 में वर्णित विलोपित हिस्से को हिस्सा छोडने वाले खातेदारान ने इन गांवो में अपना हिस्सा पूर्व से ही प्राप्त कर रखा है जिसमे परिशिष्ठ 1 में हिस्सा लेने वालो का हिस्सा नहीं रहा जिसके अनुसार संपूर्ण गांवो की खातेदारी आराजी को जोडने पर पक्षकारान के मध्य हिस्सा बराबर अर्थात अपने दर्ज हिस्सेनुसार आराजी कब्जेकाश्त में प्राप्त हो रखी है परन्तु वर्तमान में सम्पूर्ण आराजी अलग अलग गांवो में समस्त पक्षकारान के नाम दर्ज है जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का कोई संबंध सरोकार नहीं उक्त आराजीयात से नहीं रहा है जिनके हिस्से को संवत् 2011 से ही अन्य पक्षकारान ने बंटवारा कर काश्त करते आये है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज आराजी के परिशिष्ठ 1 में वर्णित हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी के पूर्व में वादी व प्रतिवादीगण के पूर्वज एक जगह रहते थे तथा संख्या में कम थे, समयानुसार उक्त खातेदारान के वारिसान बढते गये व खातेदारी आराजी पूर्व में विभाजित बंटवारे अनुसार काश्त करते रहे है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सभी हिस्सेदारान का नाम दर्ज होने से दर्ज हिस्सेनुसार काश्त करना मुनासिफ नहीं है इसी को मध्यनजर रखते हुये पूर्वजो ने अपने हिस्से अलग कायम कर रखे है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में सभी पक्षकारान का हिस्सा व नाम दर्ज होने से वादी को अपने हक व हिस्से की घोषणा हेतु यह वाद घोषणा खातेदारी पेश करना आवश्यक हुआ है जिसे वर्णित परिशिष्ठ 1 के अनुसार तकासमा किया जाकर खाते अलहदा अलहदा किये जाकर लगान की फेटबंदी कायम किया जाना न्यायोचित होगा। विवादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सभी पक्षकारान के नाम दर्ज होने से अपने नाम का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादीगण उक्त आराजी को बेचान करने की आये दिन ऐलानिया धमकियां देते है एवं बिना तकासमा व बिना बंटवारा वर्णित परिशिष्ठ 1 के किये करने पर उतारू है तथा अन्य दीगर व्यक्तियो को रहन, बैय, मुन्तकिल कर देगे तो वादी व संबंधित परिशिष्ठ 1 में वर्णित हिस्सेदारान को भयंकर नुकसान होगा इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक हुआ है इसलिये वादी को यह वाद घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। हाल

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

ही में दिनांक 10/10/2014 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को छोडकर अन्य प्रतिवादीगण से वर्णित परिशिष्ठ व मौके व कब्जेकाश्त एवं बाहमी बंटवारे अनुसार हिस्से नाम करवाने की एवं तकासमा करवाने की कही तो प्रतिवादीगण आवेश में आ गये व अपना हिस्सा हर जगह लेने की धमकियां देने लगे व बेचान कर बेदखल करने की धमकिया भी देने लगे इसलिये वादी को यह वाद अपने हक व हिस्से की घोषणा खातेदारी व तकासमा करवाने हेतु पेश करना आवश्यक हुआ है जो बिना किसी विलम्ब के अंदर मियाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नाम केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जिनका कभी कब्जाकाश्त उक्त विवादित आराजी पर नहीं रहा है व ना ही उक्त नाम के कोई व्यक्ति झराना खुर्द व झराना में संवत् 2011 में रहा है ना ही इससे पूर्व रहा और ना ही वर्तमान में कोई व्यक्ति रहते है केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में नाम होने से इन्हे पक्षकार कायम किया गया है जिनका नाम विलोपित किया जाकर परिशिष्ट 1 में वर्णित हिस्सेनुसार खातेदारी किया जाना न्यायोचित होगा। प्रतिवादीगण को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो आराजी अपने नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने का नाजायज फायदा उठाकर एवं बिना तकासमा आराजी का बेचान गलत रूप से दीगर व्यक्ति को कर वादी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल करे जबकि वादी को यह हक व अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करा दे। प्रतिवादी संख्या 4 भूमि धारक होने एवं प्रतिवादी संख्या 5 उपपंजीयक होने के कारण इन्हे मुकदमे हाजा में तरतीबी पक्षकार कायम किया गया है जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषणा इस आशय की फरमाई जावे कि वाद में वर्णित परिशिष्ठ मद नंबर क के अनुसार पक्षकारान खातेदार काश्तकारान है। विवादग्रस्त आराजी का वर्णित परिशिष्ठ व संलग्न नजरी नक्शे अनुसार तकासमा किया जाकर खाते अलहदा अलहदा किये जाकर लगान की फेटबंदी किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं इस आशय की तहरीर प्रतिवादी संख्या 4 को भेजी जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

कि वह आराजी भूमि वर्णित वाद पत्र में वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में मजामहत पैदा न करे न आराजी भूमि को रहन, बेचान, बैय, मुन्तकिल करे वादी को शांति पूर्वक काबिज काश्त रहने दे आराजी भूमि से बेदखल न करे न करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 08.09.2015 को वकील वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तलबी जरिये अखबार साया करवाने हेतु पेश किया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबार साया करवाने के आदेश दिये गये। दिनांक 29.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री शेरसिंह एडवोकेट ने वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्व अखबार साया प्रकाशन द्वारा तामील होने के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 04.03. 2016 को पैरोकार राज. ने उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या 4 व 5 तरतीबी पक्षकार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं बताया। दिनांक 09.02.2017 को वकील वादी ने साक्ष्य में हरिसिंह पुत्र रतनसिंह, दौलतराम पुत्र रतनलाल, जमनालाल पुत्र श्योजीराम, प्रभु पुत्र लालाराम, रामधन पुत्र चन्दाराम के शपथ पत्र पेश किये शामिल पत्रावली किये गये।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, इकबालिया जवाबदावा, शपथ पत्र हरिसिंह पुत्र रतनसिंह, दौलतराम पुत्र रतनलाल, जमनालाल पुत्र श्योजीराम, प्रभु पुत्र लालाराम, रामधन पुत्र चन्दाराम इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

चूंकि वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने बहस के दौरान वादी द्वारा चाहा गया तकासमा का अनुतोष खारिज किये जाने पर वादी का वाद स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति प्रकट की है, जिस पर वकील वादी ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पूर्ण सहमति दी है, न्यायहित में मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 187/1024 रकबा 2.00 बीघा ग्राम झराना खुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हिस्से 1/3–1/3 का अर्थात 2/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा चाहा गया तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13/04/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

हरिसिंह

बनाम

भंवरलाल व अन्य

::– वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा ::–

मुकदमा नं0 – 265/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 187/1024 रकबा 2.00 बीघा ग्राम झराना खुर्द, तहसील फागी, जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज हिस्से 1/3–1/3 का अर्थात 2/3 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। वादी द्वारा चाहा गया तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष खारिज किया जाता है।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13/04/2017 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

दस्तखत.....

मुहर

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	Nil		बबत इजराय हुक्मनामा	Nil	
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)